

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 मई 2021— वैशाख 31, शक 1943

भाग ४

विषय—सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन	(3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. 676-484-2016-तीस

भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2021

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए और इस, विभाग की अधिसूचना क्र. 2198-संसं-2007 दिनांक 18 दिसम्बर, 2007 तथा क्र. 712-सं.सं.-2010 दिनांक 14.10.10 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

नियम

अध्याय एक
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद् सेवा एवं भर्ती नियम, 2021" है।
- (2) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—

- (1) ये नियम संस्कृति परिषद् की नियमित सेवा के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू होंगे।
- (2) उप-नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कार्यकारिणी समिति अन्य सेवाओं के अधिकारी/कर्मचारी से करार करके, सेवा के निबंधनों तथा शर्तों के संबंध में ऐसे विशेष उपबंध बना सकेगी, जिन्हें कि वह आवश्यक समझे और उसके पश्चात् ये नियम ऐसे अधिकारी/कर्मचारी पर उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जहां तक कि ऐसे विशेष उपबंध इन नियमों से असंगत हों।

3. परिभाषाएं.—

इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो —

- (क) संस्कृति परिषद् के अधीन किन्हीं पदों पर नियुक्ति के संबंध में 'नियुक्ति प्राधिकारी' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद् विनियम की धारा 17(10) के अधीन नियुक्त सक्षम प्राधिकारी;

- (ख) अनुसूची-एक में उल्लिखित पदों के संबंध में 'नियंत्रण प्राधिकारी' से अभिप्रेत है, सचिव, संस्कृति परिषद्;
- (ग) "प्रतिनियुक्त अधिकारी/कर्मचारी" से अभिप्रेत है, अन्य सेवाओं के अधिकारी/कर्मचारी, जिनकी सेवाएं परिषद् द्वारा प्रतिनियुक्ति पर प्राप्त की गई हों;
- (घ) 'कर्मचारी' से अभिप्रेत है, अनुसूची-एक में उल्लिखित किसी भी पद पर परिषद् में सेवारत व्यक्ति;
- (ङ) 'परिषद्' से अभिप्रेत है, "मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद्"; तथा "कार्यकारिणी समिति" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद् की "कार्यकारिणी समिति";
- (च) "मंजूरी प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, अनुसूची-एक में उल्लिखित समस्त पदों के संबंध में कार्यकारिणी समिति;
- (छ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों सेसंलग्न अनुसूचियां;
- (ज) "चयन समिति" से अभिप्रेत है,—
- (एक) अनुसूची-एकके अनुक्रमांक 1 से 7 पर उल्लिखित तकनीकी पदों तथा अनुक्रमांक 1 से 7 पर उल्लिखित प्रशासनिक पदों के संबंध में, सचिव, संस्कृति परिषद् की अध्यक्षता में (अनुक्रमांक 2, 5 तथा 6 को छोड़ कर) कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट दो सदस्यों से मिलकर बनने वाली समिति;
- (दो) अनुसूची-एक के अनुक्रमांक 8 से 15 पर उल्लिखित प्रशासनिक पदों के संबंध में, संयुक्त सचिव, संस्कृति परिषद् की अध्यक्षता में सचिव, संस्कृति परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट दो सदस्यों से मिलकर बनने वाली समिति।

अध्याय दो भर्ती का तरीका

4. नियुक्ति प्राधिकारी.—

- (1) अनुसूची-एक में अनुक्रमांक 1 से 7 में वर्णित तकनीकी पद तथा अनुक्रमांक 1 से 15 (अनुक्रमांक 2, 5 एवं 6 को छोड़कर) में वर्णित प्रशासनिक पद पर नियुक्तियां, उपरोक्त नियम 3 के उप-नियम (ज) के खण्ड (1) तथा (2) के अधीन गठित चयन समिति की अनुशंसा पर सचिव, संस्कृति परिषद् द्वारा की जाएंगी।
- (2) अनुसूची-एक में अनुक्रमांक 1 एवं 3 पर वर्णित प्रशासनिक पद पर नामनिर्देशन द्वारा नियुक्ति की दशा में, संस्कृति परिषद् द्वारा नियुक्ति की जाएगी।

5. भरती का तरीका.—

(1) परिषद् के अधीन पदों पर भर्ती निम्न में से किसी भी रीति द्वारा की जा सकेगी :—

- (क) सीधी भर्ती द्वारा; या
- (ख) पदोन्नति द्वारा; या
- (ग) प्रतिनियुक्ति द्वारा; या
- (घ) किसी विशिष्ट पद के लिए उसमें उल्लिखित निबंधन और शर्तों के अनुसार व्यक्ति के साथ सविदा द्वारा।

(2) परिषद् के विभिन्न पदों पर नियुक्तियाँ, ऊपर उप-नियम (1) में वर्णित किसी रीति में, राज्य सरकार द्वारा समय-समय बनाए गए तथा अनुसूची-1 में उल्लिखित किसी पद या पदों पर यथा प्रयोज्य नियमों और प्रक्रिया के अधीन रहते हुए अनुसूची-2 के अनुसार की जाएंगी।

6. सीधी भर्ती के लिए शर्तें एवं पात्रता.—

अभ्यर्थी के चयन/परीक्षा हेतु पात्र होने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी होना चाहिए —

(1) निम्नलिखित अभ्यर्थियों में से सीधी नियुक्ति की जाएगी —

- (क) किसी विज्ञापन की प्रतिक्रिया में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों में से; या
- (ख) मांग की जाने पर रोजगार कार्यालय/एजेन्सी द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों में से।

(2) आयु—उसने परीक्षा/चयन प्राप्त होने की तारीख की आगामी पहली जनवरी को अनुसूची तीन-क में यथा विनिर्दिष्ट आयु प्राप्त कर ली हो :

परन्तु अधिकतम आयु-सीमा की गणना सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों एवं आदेशों के अनुसार की जाएगी।

(3) शैक्षणिक अर्हताएं— अभ्यर्थी के पास अनुसूची तीन-क में दर्शित सेवा के लिए विहित की गई शैक्षणिक अर्हताएं होना चाहिए।

7. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.—

किसी पद पर अथवा ग्रेड पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति निम्नानुसार की जाएगी :—

- (1) परिषद् के अधिकारियों/कर्मचारियों की पदोन्नति अनुसूची-चार में नियत प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।
- (2) परिषद् के अधिकारियों/कर्मचारियों को राज्य सरकार के प्रचलित वेतनमान उन्नयन योजना के लाभ प्रदान किए जाएंगे।
- (3) अनुसूची-चार में यथागठित पदोन्नति समितियों की बैठक समय-समय पर आयोजित की जाएंगी।

8. अनुकंपा नियुक्ति.—

परिषद् में सेवारत किसी अधिकारी/कर्मचारी के असामयिक निधन पर अनुकंपा नियुक्ति के मामले में, सामान्य प्रशासन विभाग के नियमों तथा अनुदेशों के अनुसार नियुक्ति की जाएगी।

9. प्रतिनियुक्ति.—

अधिकारियों/कर्मचारियों को किसी भी पद पर ऐसे निबंधनों और शर्तों पर प्रतिनियुक्ति परनियुक्त किया जा सकेगा, जैसा कि मंजूरी प्राधिकारी एवं स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी द्वारा उचित समझा जाए; इसी प्रकार से परिषद् के अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएं विदेश सेवाओं में भी दी जा सकेंगी।

10. उपयुक्तता.—

किसी भी व्यक्ति को किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा मूल रूप से तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि :—

- (एक) उसे राज्यसरकार द्वारा प्राधिकृत चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा स्वस्थ घोषितन कर दिया जाए; और
- (दो) नियुक्ति प्राधिकारी का पुलिस सत्यापन के आधार पर इस बात का समाधानन हो जाए कि उसका चरित्र अच्छा है।

अध्याय तीन**सेवा अवधि****11. परीक्षा.—**

- (1) परिषद् के अधीन किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा की गई नियुक्ति, परीक्षा पर दो वर्षके लिए की जाएगी। परीक्षा अवधि को अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा।
- (2) यदि परीक्षा पर नियुक्त व्यक्ति को परीक्षा अवधि के दौरान संबंधित पद के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है अथवा वह परीक्षा अवधि को संतोषप्रद रूप से पूर्ण करने में असफल रहता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी एक माह की सूचना अथवा एक माह के वेतन का भुगतान करते हुए उसकी सेवाएं समाप्त कर सकेगा।
- (3) परिषद् के अधीन किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त प्रत्येक कर्मचारी अपनी परीक्षा अवधि संतोषप्रद ढंग से पूर्ण करने के पश्चात् उस पद पर मूल नियुक्ति का पात्र होगा।

12. सेवा की समाप्ति.—

नियुक्ति प्राधिकारी, किसी अधिकारी/कर्मचारी की सेवाएं निम्नलिखित स्थितियों में समाप्त कर सकेगा.—

- (क) प्रथम नियुक्ति की पश्चात्पूर्वी सेवा अवधि के दौरान, किसी भी समय, कर्मचारी को तीन महीने की लिखित सूचना देने के पश्चात् या किसी भी समयउसे तीन महीने के वेतन काभुगतान कर;
- (ख) यदि उसेनिश्चित नियत अवधि के लिए नियुक्त किया गया हो, तो ऐसी अवधि केपूर्ण होनेपर।

13. सेवानिवृत्ति.—

- (1) परिषद् के समस्त अधिकारी/कर्मचारी (अनुसूची—एक के प्रशासनिकपद क्रमांक 1 और 3को छोड़कर)राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए यथा नियत अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवा निवृत्त हो जाएंगे।
- (2) अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शास्ति अधिरोपित किए जाने पर।
- (3) 20 वर्ष की सेवा अथवा 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने पर, लोक हित में शासन के नियमोंतथा प्रक्रिया के अनुसार अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान की जा सकेगी।

14. त्यागपत्र.—

- (1) परिषद् का कोई अधिकारी/कर्मचारी,नियुक्ति प्राधिकारी को तीन महीने की सूचना देते हुए अथवा तीन माहका वेतन जमा कराकर सेवा सेत्यागपत्र दे सकेगा।
- (2) नियुक्ति प्राधिकारी, आपवादिक मामलों में,परिषद् के किसी अधिकारी/कर्मचारी को 3 माह की अवधि से कम की सूचना अथवा इसी प्रकार ऊपर कथित से कमअवधि कावेतन जमा करने पर परिषद् की सेवा से त्यागपत्र देने की अनुज्ञा दे सकेगा।

अध्याय चार**सुविधाएं****15. अवकाश/अन्य नियम.—**

परिषद् के कर्मचारियों को ऐसे अवकाश नियम, यात्रा भत्ता नियम तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियम लागू होंगे जैसे किराज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए लागूहैं।

अध्याय पांच भविष्यनिधि तथा मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति अभिलाभ

16. अंशदायी भविष्य निधि,पेंशन.-

परिषद् के नियमित अधिकारी/कर्मचारी,कर्मचारी भविष्यनिधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंधों के अधीन तथा के अनुसार अंशदायी भविष्य निधि तथा पेंशनके समस्तअभिलाभोंके हकदार होंगे।

17. उपदान.-

परिषद् की नियमित सेवा के अधिकारी/कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह उपदान (ग्रुप ग्रेच्युटी) योजना के अधीन अभिलाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे।

18. अनुग्रहराशि.-

सेवा कालावधि के दौरान मृत्यु हो जाने के मामले में परिषद् के नियमित अधिकारी/कर्मचारीराज्य सरकार के नियमों के अनुसार अनुग्रहराशि के हकदार होंगे।

अध्याय छह आचरण नियम

19. सामान्य.-

परिषद् के अधिकारियों/कर्मचारियों पर "मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965" तथा "मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966" लागू होंगे।

अध्याय सात अनुशासनात्मक कार्रवाई

20. विभागीय जांच.-

- (1) परिषद् के नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा, अपचारी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 तथा राज्य सरकार के नियमों के अधीन जारी सहबद्ध निर्देशों के अधीन विभागीय जाँच संस्थित की जा सकेगी।
- (2) नियुक्ति प्राधिकारी,द्वारा जांचकर्ता अधिकारीनियुक्तकिया जाएगा।
- (3) विभागीय जाँच की प्रक्रिया वही होगी, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए विहित की गई है।

21. शास्तियां.—

किसी अधिकारी/कर्मचारी, पर पर्याप्त तथा समुचित कारणों से तथा इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति के अनुसार निम्नलिखित शास्तियां अधिरोपित की जा सकेंगी,—

(1) लघु शास्तियां

(क) परिनिंदा

(ख) पदोन्नति रोकना

(ग) परिषद् को किसी कर्मचारी द्वारा परिषद् के किन्हीं नियमों और विनियमों तथा वरिष्ठ प्राधिकारियों के आदेशों एवं निर्देशों की अनदेखी तथा अतिक्रमण द्वारा हुई किसी वित्तीय हानि के लिए मासिक वेतन से पूर्णतः या भागतः या एक मुश्त वसूली।

(घ) भविष्य में दी जाने वाली वेतन वृद्धि/वेतन वृद्धियां रोकना।

(2) दीर्घ शास्तियां

(क) वेतनमान (पे स्केल) के निम्नतम स्तर पर लाना।

(ख) पदावनति द्वारा पद या सेवा के निम्नतम स्केल, ग्रेड पर लाना।

(ग) अनिवार्य सेवानिवृत्ति।

(घ) सेवा से हटाना।

(ङ.) सेवा से पदच्युत करना।

22. शास्ति का अधिरोपण किया जाना.—

नियुक्ति प्राधिकारी, राज्य सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए प्रचलित विधि के उपबंधों के अधीन उपरोक्त शास्तियोंमें से कोई अधिरोपित कर सकेगा।

अध्याय आठ**अपील तथा पुनर्विलोकन****23. अपील प्राधिकारी.—**

नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पारित किए गए आदेश के विरुद्ध अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति, मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद् के समक्ष कोई अपील प्रस्तुत की जा सकेगी।

24. अपील के लिए समयसीमा.—

कोई भी अपील स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की जाना है, की संसूचना की तारीख से 90 दिन के भीतर प्रस्तुत न की गई हो:

परंतु यदि अपील प्राधिकारी कायम समाधान हो जाता है कि अपीलकर्ता के पास अपील को नियत समय में प्रस्तुत न करने का पर्याप्त कारण है, तो वह उक्त अवधि के पश्चात् भी अपील स्वीकार कर सकेगा।

25. पुनर्विलोकन.—

(1) अध्यक्ष, मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद्, स्वप्रेरणा से या किसी असंतुष्ट कर्मचारीद्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन पर किसी नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगा तथा ऐसे आदेश जारी कर सकेगा, जिनको कि वह मामले की परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त समझे:

परंतु:—

(क) असंतुष्ट पक्षकार द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन अभ्यावेदन केवल तभी ग्राह्य होगा, जबकि पुनर्विलोकन के लिए अभ्यावेदन याचिका उस आदेश की तारीख से नब्बे दिवस के भीतर प्रस्तुत की गई हो। किन्तु अध्यक्ष किसी भी समय या तो स्वप्रेरणा से या अन्यथा किसी याचिका को पुनर्विलोकन हेतु स्वीकार कर सकेगा; या

(ख) अभिलेख में कोई लिपिकीय त्रुटि या गलती स्पष्टतः परिलक्षित हुई हो; या

(ग) परिस्थितियों से संबद्ध ऐसे कुछ नये तथ्य प्रकाश में आए हों, जिनसे आदेश पर पुनर्विचार करना आवश्यक हो गया हो; या

(घ) अन्य कोई भी समुचित कारण होने पर।

(2) बढ़ी हुई शास्ति अधिरोपित करने वाला ऐसा कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा, जब तक कि कर्मचारी को ऐसी बढ़ाई गई शास्ति के विरुद्ध अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान न कर दिया गया हो।

(3) पूर्वोक्त पुनर्विलोकन में पारित किए गए किसी भी आदेश का और आगे पुनर्विलोकन नहीं किया जाएगा।

26. बहाली.—

जहां किसी सेवा समाप्त किए गए या निलंबित अधिकारी/कर्मचारी को सेवा में बहाल किया जाता है, तो वहां बहाली प्राधिकारी एक आदेश जारी करेगा जिसमें निम्नलिखित बातों का उल्लेख होगा:—

- (क) क्या वह कर्मचारी उस अवधि, जिसमें वह बर्खास्त या निलंबित रहा हो, के लिए प्राप्त किए गए वेतन तथा भत्तों के अतिरिक्त कोई वेतन तथा भत्ते प्राप्त करने के लिए हकदार होगा अथवा नहीं।
- (2) क्या ऐसी अवधि को सभी या किन्हीं भी प्रयोजनों के लिए कर्तव्य अवधि माना जाएगा अथवा नहीं।

27. सेवा की अन्य शर्तें.—

अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा शर्तों से संबंधित कोई भी मामला, जिसके लिए इन नियमों में कोई उपबंध नहीं है, सचिव द्वारा कार्यकारिणी समिति के परामर्श से एवं राज्य सरकार के नियमों के अनुसार, जैसा कि प्रकरण में अपेक्षित हो, निपटाया जाएगा।

28. छूट देने की शक्ति.—

इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कार्यकारिणी समिति की अनुशंसा पर, राज्य सरकार, किसी कर्मचारी के मामले में, ऐसे उपबन्धों के क्रियान्वयन से उद्भूत होने वाली अनावश्यक कठिनाइयों से बचने के लिए या परिषद् के हित में, इन नियमों के किसी भी उपबन्ध से छूट दे सकेगी।

29. निर्वचन.— यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा और जिस पर उसका निर्णय अंतिम होगा।

अनुसूची-एक
(नियम 3 एवं 4 देखिए)

(सेवाका वर्गीकरण, वेतनमान और सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या)

अनुक्रमांक	पदनाम	वेतनमान (छटवें वेतनमान में वेतन बैंड)	एंट्री पे (सातवें वेतनमान में)	स्वीकृत पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(तकनीकी पद)				
1.	संग्रहालयाध्यक्ष	वेतन बैंड-3 रूपए 15600-39100+5400	56100-177500	1
2.	सहायक संग्रहालयाध्यक्ष	वेतन बैंड-2 रूपए 9300-34800+4200	42700-135100	1
3.	ग्रन्थपाल	वेतन बैंड-2 रूपए 9300-34800+4200	42700-135100	1
4.	केमिस्ट	वेतन बैंड-2 रूपए 9300-34800+3600	36200-114800	1
5.	सहायक केमिस्ट	वेतन बैंड-2 रूपए 9300-34800+3200	32800-103600	1
6.	गाइड	वेतन बैंड-2 रूपए 9300-34800+3600	36200-114800	1
7.	पुस्तकालय सहायक	वेतन बैंड-2 रूपए 9300-34800+3200	32800-103600	1
(प्रशासनिक पद)				
1.	निदेशक	वेतन बैंड-3 रूपए 15600-39100+7600 (नामनिर्देशन पर रूपए 45,000/- प्रतिमाह नियत मानदेय)	79900-211700	8
2.	उप निदेशक	वेतन बैंड-3 रूपए 15600-39100+6600	67300-206900	8
3.	उप निदेशक (प्रभागों हेतु) (मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट)	(रूपए 30,000/- प्रतिमाह नियत मानदेय)	—	5
4.	सहायक निदेशक	वेतन बैंड-2 रूपए 9300-34800+4200	42700-135100	9
5.	लेखाधिकारी (संग्रहालय) (कोष एवं लेखा सेवाओंसे प्रतिनियुक्ति पर)	वेतन बैंड-3 रूपए 15600-39100+5400	56100-177500	1
6.	लेखाधिकारी (मुख्यालय) (कोष एवं लेखा सेवाओंसे प्रतिनियुक्ति पर)	वेतन बैंड-2 रूपए 9300-34800+4200	42700-135100	1
7.	सहायक कार्यक्रम अधिकारी	वेतन बैंड-3 रूपए 9300-34800+3200	32800-103600	15
8.	सहायक ग्रेड - 1 (सहायक ग्रेड-1/लेखापाल)	वेतन बैंड-1 रूपए 5200-20200+2800	28700-91300	17
9.	स्टेनोग्राफर	वेतन बैंड-1 रूपए 5200-20200+2800	28700-91300	5
10.	सहायक ग्रेड-2	वेतन बैंड-1 रूपए 5200-20200+2400	25300-80500	19
11.	सहायक ग्रेड-3	वेतन बैंड-1 रूपए 5200-20200+1900	19500-62000	24
12.	वाहन चालक	वेतन बैंड-1 रूपए 5200-20200+1900	19500-62000	3
13.	दफ्तरी	आई एस-रूपए 4400-7440+1400	16100-50900	5
14.	गैलरी अटेंडेंट	आई एस-रूपए 4400-7440+1300	15500-49000	8
15.	भृत्य	आई एस-रूपए 4400-7440+1300	15500-49000	36
कुल पद				171
	(अधिसंख्य) (सुपर न्यूमेरी) कनिष्ठ सहायक कलाकार	आई एस-रूपए 4440-7440+1300	15500-49000	1

अनुसूची-दो
(नियम 5 देखिए)
(भर्ती का तरीका)

संस्था का नाम	पदनाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता		अभियुक्ति (नियम 9 देखिए)
			सीधी भर्ती द्वारा (नियम 6 देखिए)	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा (नियम 7 देखिए)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद्	संग्रहालयाध्यक्ष	1	—	100%	प्रथम नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा, उसके पश्चात् पदोन्नति के माध्यम से पद रिक्त होने पर। उपयुक्त व्यक्ति न मिलने की दशा में प्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण अथवा संविदा आधार पर पद भरा जा सकेगा।
	सहायक संग्रहालयाध्यक्ष	1	100%	—	—
	ग्रन्थपाल	1	—	100%	पदोन्नति के लिए उपयुक्त व्यक्ति न मिलने की दशा में, प्रतिनियुक्ति /स्थानांतरण अथवा संविदा आधार पर पद भरा जा सकेगा।
	केमिस्ट	1	—	100%	पदोन्नति के लिए उपयुक्त व्यक्ति न मिलने की दशा में प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण अथवा संविदा आधार पर पद भरा जा सकेगा।
	सहायक केमिस्ट	1	100%	—	—
	गाइड	1	100%	—	—
	पुस्तकालय सहायक	1	100%	—	—
	निदेशक	8	—	100%	पदोन्नति के लिए उपयुक्त व्यक्ति न मिलने की दशा में विषय विशेषज्ञ व्यक्ति की प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा, जैसा कि सरकार द्वारा प्रत्येक अवसर पर उपयुक्त समझा जाए, भरा

					जाएगा।
उपनिदेशक	5	—	—		परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट
उपनिदेशक	8	—	100%		—
सहायक निदेशक	9	—	100%		—
लेखाधिकारी (मुख्यालय-1) (संग्रहालय-1)	2	—	—		मध्यप्रदेश वित्त सेवा से 100% प्रतिनियुक्ति द्वारा
सहायक कार्यक्रम अधिकारी	15	—	100%		—
सहायक ग्रेड-1	17	—	100%		—
स्टेनोग्राफर	5	100%	—		—
सहायक ग्रेड-2	19	—	100%		—
सहायक ग्रेड-3	24	75%	25%		—
वाहन चालक	3	100%	—		—
दफ्तरी	5	—	100%		—
गैलरी अटेंडेंट	8	100%	—		—
भृत्य	36	100%	—		—

अनुसूची-तीन "क"
(नियम 6 देखिए)

(सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की आयु एवं अर्हता)

संस्था का नाम	सेवा का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हताएं	अन्य आवश्यक अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(तकनीकी पद)					
मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद्	संग्रहालयाध्यक्ष	21 वर्ष	28 वर्ष	<p>1-किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एन्थ्रोपोलॉजी अथवा म्यूजियोलॉजी में स्नातकोत्तर (न्यूनतम 55%अंकों के साथ)।</p> <p>2-किसी प्रतिष्ठित संग्रहालय में संचालन, संधारण एवं प्रशासनिक कार्य का न्यूनतम पाँच वर्ष का अनुभव।</p> <p>3-अभ्यर्थी का मध्यप्रदेश के किसी रोजगार कार्यालय में वैध पंजीयन होना अनिवार्य होगा।</p>	प्राचीन इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति / जनजातीय कलाओं में अनुसंधान कार्य का अनुभव।
	सहायक संग्रहालयाध्यक्ष	18 वर्ष	25 वर्ष	<p>1-किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एन्थ्रोपोलॉजी अथवा म्यूजियोलॉजी विषय के साथ स्नातक(न्यूनतम 55%अंकोंके साथ)।</p> <p>2-किसी प्रतिष्ठित संग्रहालय के संचालन एवं संधारण कार्यों का न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव।</p> <p>3-अभ्यर्थी का मध्यप्रदेश के किसी रोजगार कार्यालय में वैध पंजीयन होना अनिवार्य होगा।</p>	प्राचीन इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति / जनजातीय कलाओं में अनुसंधान कार्य का अनुभव।

सहायक केमिस्ट	18 वर्ष	25 वर्ष	<p>1—किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र विषय के साथ स्नातक(न्यूनतम 55%अंकों के साथ)।</p> <p>2—किसी संग्रहालय में प्रायोगिक कार्य अथवा अनुसंधान (संस्कृति/जनजातीय विरासत) कार्य का न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव।</p> <p>3—अभ्यर्थी का मध्यप्रदेश के किसी रोजगार कार्यालय में वैध पंजीयन होना अनिवार्य होगा।</p>	म्यूजियोलॉजी में डिप्लोमा एवं दो वर्ष का अकादमिक कार्य का अनुभव।
गाइड	18 वर्ष	25 वर्ष	<p>1—किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से भारतीय प्राचीन इतिहास /संस्कृति विषय के साथ स्नातक एवं म्यूजियोलॉजी में डिप्लोमा या इसके समतुल्य उपाधि।</p> <p>2—अभ्यर्थी का मध्यप्रदेश के किसी रोजगार कार्यालय में वैध पंजीयन होना अनिवार्य होगा।</p>	
पुस्तकालय सहायक	18 वर्ष	25 वर्ष	<p>1—किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक(न्यूनतम 55%अंकों के साथ)।</p> <p>2—अभ्यर्थी का मध्यप्रदेश के किसी रोजगार कार्यालय में वैध पंजीयन</p>	

				होना अनिवार्य होगा।	
संस्था का नाम	सेवा का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	निर्धारित योग्यता	वांछनीय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(प्रशासनिक पद)					
मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद्	स्टेनोग्राफर	18 वर्ष	25 वर्ष	<p>(क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण।</p> <p>(ख) इंग्लिश टायपिंग की न्यूनतम गति 30 शब्द प्रति मिनिट एवं हिन्दी टायपिंग की न्यूनतम गति 20 शब्द प्रति मिनिट गति के साथकम्प्यूटर टायपिंग दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (Computer proficiency certification test-cpct) योग्यता प्रमाण-पत्र अनिवार्य होगा।</p> <p>(ग) अभ्यर्थी का मध्यप्रदेश के रोजगार कार्यालय में वैध पंजीयन होना चाहिए।</p> <p>(घ) निम्नलिखित मान्यताप्राप्त संस्थाओं में से किसी संस्था से कम्प्यूटर डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा :-</p> <p>(1) यू.जी.सी. द्वारा मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय से पत्रोपाधि(डिप्लोमा)।</p> <p>(2) यू.जी.सी. द्वारा मान्यताप्राप्त किसी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रोपाधि(डिप्लोमा)।</p> <p>(3) डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से डिप्लोमा।</p> <p>(4) शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय से मार्डन ऑफिस मैनेजमेन्ट कोर्स।</p> <p>(5) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (N.C.V.T) अथवा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण (S.C.V.T) से एक वर्षीय कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स(COPA) प्रमाण-पत्र।</p>	—

सहायक ग्रेड-3	18 वर्ष	25 वर्ष	<p>(क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण।</p> <p>(ख) इंगलिश टायपिंग की न्यूनतम गति 30 शब्द प्रति मिनिट एवं हिन्दी टायपिंग की न्यूनतम गति 20 शब्द प्रति मिनिट गति के साथ कम्प्यूटर टायपिंग दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (Computer proficiency certification test - cpct) योग्यता प्रमाण-पत्र अनिवार्य होगा।</p> <p>(ग) अभ्यर्थी का मध्यप्रदेश के रोजगार कार्यालय में वैध पंजीयन होना चाहिए।</p> <p>(घ) निम्नलिखित मान्यताप्राप्त संस्थाओं में से किसी संस्था से कम्प्यूटर डिप्लोमा / प्रमाण-पत्र परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा :-</p> <p>(1) यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।</p> <p>(2) यू.जी.सी. द्वारा मान्यताप्राप्त किसी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।</p> <p>(3) डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से डिप्लोमा।</p> <p>(4) शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय से मार्डन ऑफिस मैनेजमेन्ट कोर्स।</p> <p>(5) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (N.C.V.T) अथवा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण (S.C.V.T) से एक वर्षीय कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स (COPA) प्रमाण-पत्र।</p>	-
वाहन चालक	18 वर्ष	25 वर्ष	<p>(क) हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण।</p> <p>(ख) वाहन चालन अनुज्ञप्ति।</p> <p>(ग) अभ्यर्थी का मध्यप्रदेश के रोजगार कार्यालय में वैध पंजीयन होना चाहिए।</p>	वाहन चालन का तीन वर्ष का अनुभव।
गैलरी अटेंडेंट	18 वर्ष	25 वर्ष	(क) 8वीं कक्षा उत्तीर्ण	जनजातीय

				(ख) अभ्यर्थी का मध्यप्रदेशके रोजगार कार्यालय में वैध पंजीयन होना अनिवार्य होगा।	कलाओं के बारे में जानकारी रखने वाले को अधिमानता दी जाएगी।
	भृत्य/माली/चौकीदार	18 वर्ष	25 वर्ष	(अ) 8वीं कक्षा उत्तीर्ण (ब) अभ्यर्थी का मध्यप्रदेश के रोजगार कार्यालय में वैध पंजीयन होना चाहिए।	

टिप्पणी :-मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, द्वारा जारी विस्तृत परिपत्र क्रमांक सी 3-8/2016/3-1, भोपाल, दिनांक 12 मई 2017,के अनुसार अधिकतम आयु-सीमा में छूट निम्नलिखित अनुसार प्रदान की जाएगी:-

(1)	पुरुष अभ्यर्थी (अनारक्षित वर्ग)	28+12=40	25+15=40
(2)	महिला अभ्यर्थी (अनारक्षित वर्ग)	28+17=45	25+20=45
(3)	पुरुष/महिला अभ्यर्थी (शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	28+17=45	25+20=45
(4)	पुरुष/महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)	28+17=45	25+20=45
(5)	पुरुष/महिला अभ्यर्थी (आरक्षित वर्ग-शासकीय निगम/मण्डल/स्वशासी संस्थान के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	28+17=45	25+20=45
(6)	निःशक्तजन अभ्यर्थी	28+17=45	25+20=45
प्रदेश से बाहर के अभ्यर्थियों को किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु-सीमा में छूट प्राप्त नहीं होगी।			

अनुसूची – तीन “ख”

(परिषद् द्वारा नामनिर्देशन द्वारा नियुक्त किये जाने वाले अधिकारियों की आयु एवं अर्हता)

संस्था का नाम	सेवा का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	निर्धारित शैक्षणिक अर्हताएँ	अन्य आवश्यक अर्हताएँ
1	2	3	4	5	6
मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद्	निदेशक	40 वर्ष	65 वर्ष	स्नातक	<p>1-साहित्य अकादमी-हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में ज्ञान एवं अकादमिक कार्यों का अनुभव रखने वाले व्यक्ति को वरीयता दी जाएगी।</p> <p>2-कालिदास संस्कृत अकादमी-कालिदास/संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में ज्ञान एवं अकादमिक कार्यों का अनुभव रखने वाले व्यक्ति को वरीयता दी जाएगी।</p> <p>3-उस्ताद अलाउद्दीन ख़ाँ संगीत एवं कला अकादमी-रूपंकर, सिनेमा, प्रदर्शनकारी कलाओं के क्षेत्र में अकादमिक कार्यों का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को वरीयता दी जाएगी।</p> <p>4-आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास अकादमी-प्रदेश की आदिवासी एवं लोक कला तथा संस्कृति के क्षेत्र में अकादमिक कार्यों का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को वरीयता दी जाएगी।</p> <p>5-सिंधी साहित्य अकादमी-सिंधी साहित्य के क्षेत्र में ज्ञान एवं अकादमिक कार्यों का अनुभव रखने वाले व्यक्ति को वरीयता दी जाएगी।</p> <p>6-मराठी साहित्य अकादमी-मराठी साहित्य एवं कला का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को वरीयता दी जाएगी।</p> <p>7-पंजाबी साहित्य अकादमी-पंजाबी साहित्य एवं कला का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को वरीयता दी जाएगी।</p> <p>8-मध्यप्रदेश जनजातीय संग्रहालय – प्रदेश में निवासरत जनजातियों की जीवनशैली, देशज परंपरा एवं सौन्दर्य बोध ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को वरीयता दी जाएगी।</p>

	उपनिदेशक	40 वर्ष	65 वर्ष	स्नातक	<p>1-इकबाल साहित्य प्रभाग- इकबाल साहित्य का ज्ञान एवं अकादमिक कार्य का अनुभवरखने वाले व्यक्ति को वरीयता दी जाएगी।</p> <p>2-तुलसी साहित्य प्रभाग-तुलसी साहित्य का ज्ञान एवं अकादमिक कार्य का अनुभवरखने वाले व्यक्ति को वरीयता दी जाएगी।</p> <p>3-संस्कृत प्रभाग-संस्कृत भाषा का ज्ञान एवं अकादमिक कार्य का अनुभव रखने वाले व्यक्ति को वरीयता दी जाएगी।</p> <p>4-संगीत प्रभाग- संगीत के क्षेत्र में संगीत तथा अकादमिक कार्य का अनुभव रखने वाले व्यक्तिको वरीयता दी जाएगी।</p> <p>5-मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद् - प्रशासनिक एवं अकादमिक कार्य का ज्ञान तथा अनुभव रखने वाले अधिकारी को वरीयता दी जाएगी।(संस्कृति संचालनालय से)</p>
--	----------	---------	---------	--------	---

नोट :- उपरोक्त प्रकरणों में नामनिर्देशनद्वारा नियुक्ति अधिकतम तीन वर्ष के लिए होगी।

अनुसूची – चार
पदोन्नति का तरीका
(तकनीकी एवं प्रशासनिक पद)

विभाग का नाम	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाएगी	उस पद का नाम जिस पद पर पदोन्नति की जाएगी	अनुभव	पदोन्नति के लिए मानदंड	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद्	सहायक संग्रहालयाध्यक्ष	संग्रहालयाध्यक्ष	5 वर्ष	वरिष्ठता —सह— योग्यता	—सचिव, संस्कृति विभाग —अध्यक्ष —संचालक, संस्कृति संचालनालय—सदस्य —उपसचिव, संस्कृति विभाग—सदस्य —प्रशासकीय विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट विषय विशेषज्ञ—सदस्य (उपर्युक्त सदस्यों में से यदि आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व न हो तो एक आरक्षित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में एक और सदस्य परिषद् की कार्यकारिणी/ सामान्यसभा से होगा।)
	पुस्तकालय सहायक	ग्रंथपाल	5 वर्ष	तदैव	—संचालक, संस्कृति संचालनालय—अध्यक्ष —परिषद् की कार्यकारिणी/ सामान्यसभा में से एक सदस्य सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे —सदस्य —परिषद् के सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी अकादमी का निदेशक—सदस्य —संयुक्त सचिव, संस्कृति परिषद्—सदस्य सचिव (उपर्युक्त सदस्यों में से यदि आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व न हो तो एक आरक्षित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में एक और सदस्य परिषद् की कार्यकारिणी/ सामान्य सभा से होगा।)
	सहायक केमिस्ट	केमिस्ट	5 वर्ष	तदैव	—संचालक, संस्कृति संचालनालय—अध्यक्ष —परिषद् की कार्यकारिणी/ सामान्यसभा में से एक सदस्य सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा —सदस्य —परिषद् के सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी अकादमी का निदेशक—सदस्य —मुख्य रसायनज्ञ, पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय संचालनालय—सदस्य —संयुक्त सचिव संस्कृतिपरिषद्—सदस्य सचिव (उपर्युक्त सदस्यों में से यदि आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व न हो तो एक आरक्षित वर्ग

/	उपनिदेशक	निदेशक	5 वर्ष	तदैव	<p>के प्रतिनिधि के रूप में एक और सदस्य परिषद् की कार्यकारिणी/ सामान्य सभा से होगा।)</p> <p>—सचिव, संस्कृति विभाग</p> <p>—अध्यक्ष</p> <p>—संचालक, संस्कृति संचालनालय—सदस्य</p> <p>—उपसचिव, संस्कृति विभाग</p> <p>—सदस्य</p> <p>—प्रशासकीय विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट विषयविशेषज्ञ</p> <p>—सदस्य</p> <p>—संयुक्त सचिव संस्कृति परिषद्</p> <p>—सदस्य सचिव</p> <p>(उपर्युक्त सदस्यों में से यदि आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व न हो तो एक आरक्षित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में एक और सदस्य परिषद् की कार्यकारिणी/ सामान्य सभा से होगा।)</p>
	सहायक निदेशक	उपनिदेशक	5 वर्ष	वरिष्ठता—सह—योग्यता	<p>—संचालक, संस्कृति संचालनालय—अध्यक्ष</p> <p>—परिषद् की कार्यकारिणी/ सामान्य सभा में से एक सदस्य परिषद् के सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।</p> <p>—सदस्य</p> <p>—संयुक्त सचिव, संस्कृति परिषद्—सदस्य सचिव</p> <p>(उपर्युक्त सदस्यों में से यदि आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व न हो तो एक आरक्षित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में एक और सदस्य परिषद् की कार्यकारिणी/ सामान्य सभा से होगा।)</p>
	सहायक कार्यक्रम अधिकारी	सहायक निदेशक	5 वर्ष	तदैव	तदैव
	सहायक ग्रेड-1	सहायक कार्यक्रम अधिकारी	5 वर्ष	तदैव	तदैव
	सहायक ग्रेड-2	सहायक ग्रेड-1	5 वर्ष	तदैव	तदैव
	सहायक ग्रेड-3	सहायक ग्रेड-2	5 वर्ष	तदैव	तदैव
	दफ्तरी	सहायक ग्रेड-3	5 वर्ष	तदैव	तदैव
	भृत्य/ चौकीदार/ माली	दफ्तरी	5 वर्ष	तदैव	<p>—सहायक संचालक, संस्कृति संचालनालय—अध्यक्ष</p> <p>—परिषद् के सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी अकादमी का एक उपनिदेशक</p> <p>—सदस्य</p> <p>—परिषद् के संयुक्त सचिव, द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य—सदस्य</p> <p>—आरक्षित वर्ग से, एक प्रतिनिधि—सदस्य</p>

No. 676-484-2016-xxx-

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India and in supersession of this department's Notification No. 2198-SS-2007 dated 18th December, 2007 and No. 712-SS-2010 dated 14.10.10, the State Government, hereby, makes the following rules, namely :—

RULES
CHAPTER-I
PRELIMINARY

1. Short title and commencement.-

- (1) These rules may be called “The Madhya Pradesh Sanskriti Parishad Service and Recruitment Rules, 2021”.
- (2) They shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. Application.-

- (1) These rules shall apply to all the officers/employees of regular service of the Sanskriti Parishad.
- (2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the Executive Committee, by entering into an indenture with officer/employee of other services, may make such special provisions regarding terms and conditions of the service, which it deem necessary and hereafter these rules shall not apply to such officer/employee to that extent such special provisions are inconsistent to these rules.

3. Definitions.-

In these rules, unless the context otherwise requires,-

- (a) “Appointing Authority” with regard to the appointment on any

posts under the Sanskriti Parishad, means competent officer appointed under section 17(10) of the Regulation of Madhya Pradesh Sanskriti Parishad;

- (b) “Controlling Authority” means Secretary, Sanskriti Parishad with reference to the posts mentioned in schedule-I ;
- (c) “Deputed officer/employee” means officer/employee of other services whose services have been taken on deputation by the Parishad;
- (d) “Employee” means person serving in the Parishad on any post mentioned in schedule-I;
- (e) “Parishad” means The Madhya Pradesh Sanskriti Parishad and “Executive Committee” means “Executive Committee” of Madhya Pradesh Sanskriti Parishad;
- (f) “Sanctioning Authority” means the Executive Committee with reference to all posts mentioned in schedule-I;
- (g) “Schedule” means schedules appended to these rules;
- (h) “Selection Committee” means ;
 - (i) the Committee with reference to the technical posts mentioned at serial number 1 to 7 and administrative posts at serial number 1 to 7 (except serial number 2, 5 and 6) of Schedule-I, comprising of two members to be nominated by the Chairman of the Executive Committee, under the Chairmanship of the Secretary, Sanskriti Parishad;
 - (ii) the Committee with reference to the administrative posts mentioned at serial number 8 to 15 of Schedule-I, comprising of two members to be nominated by the Secretary, Sanskriti Parishad, under the chairmanship of Joint Secretary, Sanskriti Parishad.

- (i) "Regulation" means the regulation of Madhya Pradesh Sanskriti Parishad.

CHAPTER II- METHOD OF RECRUITMENT

4. Appointing Authority.-

- (1) Appointments on the technical posts at serial number 1 to 7 and the administrative posts at serial number 1 to 15 (except serial number 2, 5 and 6) mentioned in Schedule-I, shall be made by the Secretary, Sanskriti Parishad on the recommendation of selection committee constituted under clause (i) and (ii) of sub-rule (h) of rule 3 above.
- (2) In case of appointment by nomination on administrative post at serial number 1 and 3 mentioned in Schedule-I, the appointment shall be made by the Sanskriti Parishad.

5. Method of Recruitment.-

- (1) Recruitment on the posts under the Parishad may be made by any of the following methods :-
- (a) By direct recruitment; or
 - (b) By promotion; or
 - (c) By deputation; or
 - (d) By entering into contract with any person for any specific post as per terms and condition described therein.
- (2) The appointments on various posts of the Parishad shall be made, by any of methods mentioned in sub-rule (1) above, in accordance with Schedule-II, subject to the rules and procedure framed by the State Government from time to time and as applicable to any post or posts mentioned in the schedule-I.

6. Conditions and eligibility for direct recruitment.-

In order to be eligible for selection/ examination the candidate must satisfy the following conditions-

- (1) Direct appointment shall be made out of the following candidates-
 - (a) Candidates applying in response to any advertisement; or
 - (b) Candidates recommended by Employment Exchange / Agency, on demand.
- (2) Age- He must have attained the age specified in Schedule III-A on the 1st day of January next following the date in which the examination/ selection has commenced:

Provided that the counting of maximum age-limit shall be made according to instructions and orders issued by the General Administration Department.

- (3) Educational qualifications- Candidate must possess the educational qualifications prescribed for the service as shown in Schedule III-A.

7. Appointment by promotion.-

Appointment by promotion on the post or grade shall be as follows :-

- (1) The promotion of officers/employees of the Parishad shall be made in accordance with the procedure stipulated in Schedule - IV.
- (2) The officers/employees of the Parishad shall be provided the benefits of prevailing pay scale upgradation scheme of the State Government.
- (3) The meetings of the promotion committees as constituted in Schedule-IV, shall be held from time to time.

8. Compassionate Appointment.-

In the case of compassionate appointment on untimely death of any of the officer/employee serving in the Parishad, shall be made in accordance with the rules and instructions of General Administration Department.

9. Deputation.-

Officers/employees may be appointed on deputation on any of the post on such terms and conditions as the Consenting Authority and Accepting Authority may deem fit; likewise the services of the Officer/employees of the Parishad may also be given on foreign services.

10. Fitness.-

No person shall be appointed in substantive capacity by direct recruitment on any post unless -

- (1) He/ She has been declared fit by the Medical Authority authorised by the State Government; and
- (2) The Appointing Authority is satisfied on the basis of police verification that he/she possesses good character.

CHAPTER III- SERVICE PERIOD (TENURE)**11. Probation.-**

- (1) Appointment by direct recruitment on any post under the Parishad shall be made on probation for three years. The probation period may further be extended for a maximum period of one year.
- (2) If the person appointed on probation is not found suitable for concerned post during probation or if he fails to complete the probation period satisfactorily, then the Appointing Authority, by giving one month notice or paying one month salary, may terminate his services.

- (3) Every employee appointed by direct recruitment on any post under the Parishad shall be eligible for substantive appointment on that post after the completion of his probation period satisfactorily.

12. Termination of service.-

The service of any officer/employee may be terminated by the Appointing Authority in following conditions;

- (1) During the subsequent service period of first appointment, at any time after giving three months written notice to the employee or at any time by giving him/her three months salary.
- (2) If he/she is appointed for a certain fixed tenure, then on the completion of such period.

13. Retirement.-

- (1) All the officers/employees of the Parishad (excluding administrative post number 1 and 3 of Schedule-I) shall be retired from service on completion of age of superannuation as stipulated by the State Government for its employees.
- (2) On imposition of penalty of compulsory retirement.
- (3) On completion of 20 years of service or 50 years of age, the compulsory retirement in public interest may be given as per Government rules and procedure.

14. Resignation.-

- (1) Any officer/employee of the Parishad may resign from service by giving three months notice to Appointing Authority or by depositing three months salary.
- (2) The Appointing Authority, in exceptional cases, may allow any officer/employee of the Parishad to furnish a notice of less than 3 months period likewise to deposit the salary of less period than stated above.

CHAPTER IV- FACILITIES

15. Leave/ Other Rules.-

Leave Rules, Travelling Allowance Rules and Medical Reimbursement Rules shall be applied to the employees of the Parishad, as are applicable to employees of the State Government.

CHAPTER V-PROVIDENT FUND AND DEATH-CUM-RETIREMENT BENEFIT

16. Contributory Provident Fund/Pension.-

The regular officers/employees of the Parishad shall be entitled to get all the benefits of contributory provident fund and pension under and in accordance with the provisions of The Employees Provident Fund And Miscellaneous Provisions Act, 1952.

17. Gratuity.-

The officers/employees, in the regular services of the Parishad shall be entitled to get benefit under the Group Gratuity Scheme of the Life Insurance Corporation of India.

18. Ex-gratia.-

The regular officers/employees of the Parishad shall be entitled for the benefit of ex-gratia, in case of death during service period, as per rules of the State Government.

CHAPTER VI- CONDUCT RULES

19. General.-

Madhya Pradesh Civil Service (conduct) Rules, 1965 and Madhya Pradesh Civil Service (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966 shall apply to the officers/employees of the Parishad.

CHAPTER VII- DISCIPLINARY ACTION

20. Departmental Enquiry.-

- (1) Departmental enquiry, against the delinquent officer/employee under the Madhya Pradesh Civil Service (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966 and allied directions under the rules of the State Government, may be instituted by the Controlling Authority of the Parishad.
- (2) Enquiry officer shall be appointed by the Appointing Authority.
- (3) The procedure of the departmental enquiry shall be the same as is prescribed by the State Government for its employees.

21. Penalties.-

Following penalties may be imposed on any officer/employee for sufficient and appropriate reasons and as per the manner hereinafter provided;

- (1) Minor penalties
 - (a) Censure
 - (b) Holding promotion
 - (c) Wholly or partially recovery from monthly salary or in lumpsum for any financial loss caused by the employee to Parishad by ignorance and violation of rules and regulations and orders and directions of senior authorities of the Parishad.
 - (d) Ceasing future increment/increments
- (2) Major Penalties
 - (a) Bringing down to the lowest stage of pay scale.
 - (b) Bringing down to the lower scale, grade, post or service by demotion.

- (c) Compulsory retirement
- (d) Removal from service
- (e) Dismissal from service

22. Imposition of penalty.-

The Appointing Authority may impose any of the aforesaid penalties under the provisions of law, prevailing for officers/employees of the State Government.

CHAPTER VIII-APPEAL AND REVIEW

23. Appellate Authority.-

An appeal may be preferred before the Chairman, Executive Committee, Madhya Pradesh Sanskriti Parishad against the order passed by the Appointing Authority.

24. Limitation for appeal.-

No appeal shall be admitted unless it is filed within 90 days from the date of communication of the order against which appeal is to be filed:

Provided that if the Appellate Authority is satisfied that the appellant has adequate reasons for not preferring the appeal within due time, then he may admit the appeal, even after the said period.

25. Review.-

- (1) The Chairman, Madhya Pradesh Sanskriti Parishad either on his own motion or on the representation of any unsatisfied employee may review any order issued by the appointing authority and may issue such orders which he considers appropriate according to the circumstances of the case: provided that :-

- (a) representation for the review presented by unsatisfied party shall be admissible only when the representation petition for review has been presented within ninety days

from the date of order. But the Chairman at any time, either on his own motion or otherwise may accept any petition for review; or

- (b) there seems a clear mistake or fault on record; or
 - (c) there arises any new facts related to circumstances, rendering review of the order necessary; or
 - (d) for any other reasonable cause.
- (2) No order imposing increased penalty shall be passed unless the employee has been given an opportunity for presenting representation against such increased penalty.
- (3) There shall be no further review against an order passed in the aforesaid review.

26. Reinstatement.-

Where any officer/employee terminated or suspended is reinstated in the service the reinstating authority shall issue an order which shall bear following things :-

- (1) whether the employee shall be entitled to receive the salary and allowances in addition to the allowances received by him during the period in which he remained terminated or suspended;
- (2) whether such period shall be deemed as on duty period for all or any purposes.

27. Other conditions of service.-

Any matter relating to service conditions of the officers/employees for which there is no provision in these rules, shall be dealt by the Secretary in consultation with the Executive Committee and as per the State Government's rules, as required in the case.

28. Power to give relaxation.-

Notwithstanding anything contained in these rules, on the recommendation of Executive Committee, the State Government may exempt any provisions of these rules in case of any employee, to avoid the unnecessary difficulties arising from the

implementation of such provisions or in the interest of the Parishad.

29. **Interpretation** - If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government whose decision there on shall be final.

Schedule-I

(See rule 3 and 4)

(Classification of service, scale of pay and number of posts included to the service)

S.No.	Designation	Scale of Pay (pay bands in 6 th pay scales)	Scale of Pay (in 7 th pay scales)	Sanction ed Posts
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(Technical posts)				
1.	Curator	PB-3 Rs 15600-39100+5400	56100-177500	1
2.	Assistant Curator	PB-2 Rs 9300-34800+4200	42700-135100	1
3.	Librarian	PB-2 Rs 9300-34800+4200	42700-135100	1
4.	Chemist	PB-2 Rs 9300-34800+3600	36200-114800	1
5.	Assistant Chemist	PB-2 Rs 9300-34800+3200	32800-103600	1
6.	Guide	PB-2 Rs 9300-34800+3600	36200-114800	1
7.	Library Assistant	PB-2 Rs 9300-34800+3200	32800-103600	1
(Administrative Posts)				
1.	Director	PB-3 Rs 15600-39100+7600 (on nomination, Rs 45,000/- p.m. fixed honorarium)	79900-211700	8
2.	Deputy Director	PB-3 Rs 15600-39100+6600	67300-306900	8
3.	Deputy Director (for	(Rs. 30,000/- p.m.		5

	Divisions) (Nominated by the Madhya Pradesh Sanskriti Parishad)	fixed honorarium)	-	
4.	Assistant Director	PB-2 Rs 9300- 34800+4200	42700- 135100	9
5.	Accounts Officer (Museum) (on deputation from Treasury and Accounts Services)	PB-3 Rs 15600- 39100+5400	56100- 177500	1
6.	Accounts Officer (Headquarter) (on deputation from Treasury and Accounts Services)	PB-2 Rs 9300- 34800+4200	42700- 135100	1
7.	Assistant Programme Officer	PB-3 Rs 9300- 34800+3200	32800- 103600	15
8.	Assistant Grade-1 (Assistant Grade- 1/Accountant)	PB-1 Rs 5200- 20200+2800	28700-91300	17
9.	Stenographer	PB-1 Rs 5200- 20200+2800	28700-91300	5
10.	Assistant Grade-2	PB-1 Rs 5200- 20200+2400	25300-80500	19
11.	Assistant Grade-3	PB-1 Rs 5200- 20200+1900	19500-62000	24
12.	Driver	PB-1 Rs 5200- 20200+1900	19500-62000	3
13.	Daftari	IS-Rs 4440- 7440+1400	16100-50900	5
14.	Gallery Attendant	IS-Rs 4440- 7440+1300	15500-49000	8
15.	Peon	IS-Rs 4440- 7440+1300	15500-49000	36
Total Posts				171
	(Super Numerary) Junior Assistant Artist	IS-Rs 4440- 7440+1300	15500-49000	1

Schedule-II
(See rule 5)
(Method of Recruitment)

Name of the Institution	Name of the post	Total number of posts	Percentage of posts to be filled		Remark (Refer rule 9)
			By direct recruitment (see rule 6)	By promotion of members of the service (see rule 7)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Madhya Pradesh Sanskriti Parishad	Curator	1	-	100 %	First appointment by direct recruitment, thereafter on post being vacant through promotion. In case of non availability of suitable person, the post may be filled by deputation, transfer or on contract basis.
	Assistant Curator	1	100%	-	-
	Librarian	1	-	100%	In case of non availability of person for promotion, the post may be filled by deputation/transfer or on contract basis.
	Chemist	1	-	100%	In case of non availability of person for promotion, the post may be filled by deputation/transfer or on contract basis.
	Assistant Chemist	1	100%	-	-
	Guide	1	100%	-	-

	Library Assistant	1	100%	-	-
	Director	8	-	100%	In case of non availability of suitable person for promotion, it shall be filled by deputation /transfer of the subject specialist person as is found suitable by the State -Government, at each occasion
	Deputy Director	5	-	-	Nominated by the Parishad
	Deputy Director	8	-	100%	-
	Assistant Director	9	-	100%	-
	Accounts Officer (Headquarter-1) (Museum-1)	2	-	-	100% by deputation M.P. Finance Services
	Assistant Programme Officer	15	-	100%	-
	Assistant Grade-1	17	-	100%	-
	Stenographer	5	100%	-	-
	Assistant Grade-2	19	-	100%	-
	Assistant Grade-3	24	75%	25%	-
	Driver	3	100%	-	-
	Daftari	5	-	100%	-
	Gallery Attendant	8	100%	-	-
	Peon	36	100%	-	-

Schedule-III A**(See rule 6)****(Age and qualification of persons to be recruited directly)**

Name of the institution	Name of the Service	Minimum age limit	Maximum age limit	Prescribed educational qualifications	Other essential
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Technical Posts					
Madhya Pradesh Sanskriti Parishad	Curator	21 years	28 years	1-Post graduation in Anthropology or Museology from any recognised university (with minimum 55% marks) 2-Minimum five years experience of operation, maintenance and administrative work in any reputed museum. 3- Candidate must have valid registration in any Employment Exchange of Madhya Pradesh.	Experience of research work in ancient history, archaeology and culture/tribal art
	Assistant Curator	18 years	25 years	1- Graduation with anthropology or museology subject from any recognised university (with minimum 55% marks) 2-Minimum three years experience of operation and maintenance work in any reputed museum. 3- Candidate must have valid registration in Employment Exchange of Madhya Pradesh.	Experience of research work in ancient history, archaeology and culture/tribal art

Assistant Chemist	18 years	25 years	1-Graduation with chemistry subject from any recognised university(with minimum 55% marks) 2-Minimum three years practical experience or research work (cultural/tribal heritage) in any museum. 3- Candidate must have valid registration in Employment Exchange of Madhya Pradesh.	Diploma in museology and two years experience of academic work
Guide	18 years	25 years	1- Graduation with Indian Ancient History/ Culture subject from any recognised university and diploma in museology or its equivalent degree 2- Candidate must have valid registration in Employment Exchange of Madhya Pradesh.	
Library Assistant	18 years	25 years	1- Graduate in Library Science from recognised university (with minimum 55% marks) 2- Candidate must have valid registration in Employment Exchange of Madhya Pradesh.	
Administrative Posts				
Stenographer	18 years	25 years	A. 10+2 Exam passed B. Computer Proficiency certificate test- CPCT qualified with minimum 30 words per minute English Typing and 20 words	—

				<p>per minute Hindi typing speed compulsory.</p> <p>C. Candidate must have valid registration in Employment Exchange of Madhya Pradesh.</p> <p>D. Computer Diploma/Certificate Exam Passed from any of the following recognised institutions, would be compulsory :</p> <p>(1) Diploma from any university recognised by UGC.</p> <p>(2) Diploma from any open university recognised by UGC</p> <p>(3) Diploma from DOEACC</p> <p>(4) Modern office management course from Government polytechnic collage.</p> <p>(5) One year computer operator and programming assistant course certificate (COPA) from National council on vocational training (N.C.V.T.) or State council for vocational training (S.C.V.T.).</p>	
	Assistant Grade-3	18 years	25 years	<p>A. 10+2 Exam passed</p> <p>B. Computer Proficiency certificate test-CPCT qualified with minimum 30 words</p>	-

				<p>per minute English Typing and 20 words per minute Hindi typing speed compulsory.</p> <p>C. Candidate must have valid registration in Employment Exchange of Madhya Pradesh.</p> <p>D. Computer Diploma/Certificate Exam Passed from any other in the following recognised institutions:</p> <p>(1) Diploma from any university recognised by UGC.</p> <p>(2) Diploma from any open university recognised by UGC</p> <p>(3) Diploma from DOEACC</p> <p>(4) Modern office management course from Government polytechnic collage.</p> <p>(5) One year computer operator and programming assistant certificate from National council on vocational training (N.C.V.T.) or State council for vocational training (S.C.V.T.).</p>	
	Driver	18 years	25 years	<p>A. High School examination passed</p> <p>B. Driving licence</p> <p>C. Candidate must have</p>	Three years driving experience

				valid registration in Employment Exchange of Madhya Pradesh.	
	Gallery Attendant	18 years	25 years	A. 8 th Pass B. Candidate must have valid registration in Employment Exchange of Madhya Pradesh.	Preference shall be given to the person having knowledge of Tribal Arts
	Peon/Gardener/ Watchmen	18 years	25 years	A. 8 th Pass B. Candidate must have valid registration in Employment Exchange of Madhya Pradesh.	—

Note: Relaxation in maximum age limit shall be provided as per circular expand No. C3-8/2016/3-1 Bhopal dated 12 May 2017 issued by General Administration Department, Government of Madhya Pradesh, as follows:-

(1)	Male candidate (Unreserved Category)	28+12=40	25+15=40
(2)	Female candidate (Unreserved Category)	28+17=45	25+20=45
(3)	Male/ Female candidate (Government / Corporation/Board/Autonomous Institutions employee and Home Guards)	28+17=45	25+20=45
(4)	Male/ Female candidate (Reserved Category-Scheduled Castes/ Scheduled tribes/Other Backwards Classes)	28+17=45	25+20=45
(5)	Male/ Female candidate (Reserved Category- Government Corporation/ Board/ Autonomous Institutions employee and Home Guards)	28+17=45	25+20=45
(6)	Divyang Candidates	28+17=45	25+20=45
At any case no maximum age relaxation for out of state candidates.			

Schedule-III- B

(Age and qualification of the officials to be appointed by nomination by the council)

Name of the institution	Name of the Service	Minimum age limit	Maximum age limit	Prescribed educational qualifications	Other essential
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Madhya Pradesh Sanskriti Parishad	Director	40 years	65 years	Graduate	<p>1- Sahitya Academy- Preference shall be given to the person having knowledge and experience of academic work in the field of Hindi Literature.</p> <p>2- Kalidas Sanskrit Academy – Preference shall be given to the person having knowledge and experience of academic work in the field of Kalidas/Sanskrit literature.</p> <p>3-Ustad Alauddin khan Sangeet evam Kala Academy- Preference shall be given to the person having knowledge of academic work in the field of Roopankar, Cinema, performing arts.</p> <p>4- Adivasi Lok Kala evam Boli Vikas Academy-Preference shall be given to the person having knowledge of academic work in the field of tribal and folk art and culture of the State.</p> <p>5- Sindhi Sahitya Academy – Preference shall be given to the person having knowledge and experience of academic work in the field of Sindhi literature.</p> <p>6- Marathi Sahitya Academy-Preference shall be given to the person having knowledge of Marathi Literature and arts.</p> <p>7-Punjabi Sahitya Academy-Preference shall be given to the person having knowledge of Punjabi literature and arts.</p> <p>8-Madhya Pradesh Tribal Museum-Preference shall be given to the person having knowledge regarding life style</p>

					of the tribal habitat in the state, Indigenous knowledge of tradition and beauty perception (Deshaj Gyan Parampara evam Soundarya Bodh)
	Deputy Director	40 years	65 years	Graduate	<p>1-Iqbal Sahitya Prabhag- Preference shall be given to the person having knowledge and experience of academic work of Iqbal literature.</p> <p>2- Tulsi Sahitya Prabhag- Preference shall be given to the persons having knowledge and experience of academic work of Tulsi Sahitya.</p> <p>3- Sanskrit Prabhag- Preference shall be given to the person having knowledge and experience of academic work of Sankrit language.</p> <p>4-Sangeet Prabhag- Preference shall be given to the person having knowledge of various forms of music and experience of academic work in the field of music.</p> <p>5-Madhya Pradesh Sanskriti Parishad - Preference shall be given to the officer having knowledge and experience of administrative and academic work.(From Directorate of culture)</p>

Note :- In the aforesaid cases, the appointment by nomination shall be of maximum three years.

Schedule-IV
Method of Promotion
(Technical and Administrative Posts)

Name of the Department	Name of the post from which promotion is to be made	Name of the post on which promotion is to be made	Experience	For promotion criteria	The members of departmental promotion committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Madhya Pradesh Sanskriti Parishad	Assistant Curator	Curator	5 years	Seniority-cum -merit	<ul style="list-style-type: none"> - Secretary, Deptt. of culture - Chairman - Director, Directorate of Culture - Member - Deputy Secretary, Deptt. of Culture – Member - Subject Expert nominated by the Administrative Deptt. – Member (If there is no representation of reserve category from amongst aforesaid members, then there shall be one more representative of reserve category from the executive/General body of the Parishad)
	Library Assistant	Librarian	5 years	-do-	<ul style="list-style-type: none"> - Director, Directorate of Culture- Chairman - One member from the Executive/ General body of the Parishad/nominated by the Secretary - Director of any academy nominated by the Secretary of Parishad - Member - Joint Secretary, Sanskriti Parishad – Member Secretary (If there is no representation of reserve category from amongst aforesaid members, then there shall be one more representative of reserve category from the executive/General body of the Parishad)
	Assistant Chemist	Chemist	5 years	-do-	<ul style="list-style-type: none"> - Director, Directorate of Culture – Chairman - One member from the Executive/ General body of the Parishad

					<p>nominated by Secretary.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Director of any academy nominated by the Secretary of Parishad - Member. - Chief Chemist, Archaeology, Archives and museum Directorate – Member - Joint Secretary, Sanskriti Parishad - Member Secretary <p>(If there is no representation of reserve category from amongst aforesaid members then there shall be one more representative of reserve category from the executive/General body of the Parishad)</p>
	Deputy Director	Director	5 years	-do-	<ul style="list-style-type: none"> - Secretary, Deptt. of Culture – Chairman - Director, Directorate of Culture- Member - Deputy Secretary, Deptt. of Culture- Member - Subject expert, nominated by the Administrative Deptt. – Member - Joint Secretary, Sanskriti Parishad - Member Secretary <p>(If there is no representation of reserve category from amongst aforesaid members then there shall be one more representative of reserve category from the executive/General body of the Parishad)</p>
	Assistant Director	Deputy Director	5 years	Seniority-cum -merit	<ul style="list-style-type: none"> - Director, Directorate of Culture – Chairman - One member from the Executive/General body of the Parishad nominated by the Secretary of the Parishad. - Joint Secretary, Sanskriti Parishad- Member Secretary. <p>(If there is no representation of reserve category from amongst aforesaid members, then there shall be one more representative of reserve category from the executive/General body of the Parishad)</p>
	Assistant	Assistant	5 years	-do-	-do-

	Program me Officer	Director			
	Assistant Grade-1	Assistant Program me Officer	5 years	-do-	-do-
	Assistant Grade-2	Assistant Grade-1	5 years	-do-	-do-
	Assistant Grade-3	Assistant Grade-2	5 years	-do-	-do-
	Daftari	Assistant Grade-3	5 years	-do-	-do-
	Peon/ Watchme n /Gardene r	Daftari	5 years	-do-	-Assistant Director, Directorate of Culture - Chairman - One Deputy Director of the any Academy nominated by the Secretary of Parishad - Member - One Member nominated by the Joint Secretary of the Parishad. - One member from the reserve category.

अदिति कुमार त्रिपाठी, संचालक.